न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आरएएस)

अपील संख्या– 2018/00144

मोड़ूलाल पिता गणेशलाल जाति रेगर निवासी वार्ड न. 2, ग्राम मण्डाना जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. मांगीलाल पुत्र उदा मृतक के बजाय–
   2/1. बालचंद पुत्र मांगीलाल निवासी मोडक गांव शिवनगर
   2/1. रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल निवासी मोडक गांव शिवनगर
   2/1. आयोध्या पुत्र मांगीलाल पत्नी रामस्वरूपा
   2/1. ससुर बाई पत्नी चिरोंजीलाल पुत्री मांगीलाल निवासी रेगर मोहल्ला सांगोद
3. जयपाल पुत्र उदा
4. मोड़ूलाल पुत्र उदा मृतक के बजाय–
   3/1. मुकेश पुत्र मोड़ूलाल मोडक गांव शिवनगर
   3/2.प्रेमबाई पत्नी बाबूलाल पुत्री मोड़ूलाल तहसील बपावर ग्राम अलावद के पास, खानपुर जिला झालावाड़।
5. रामस्वरूप पुत्र उदा
6. रत्ती बेवा उदा
7. मदनलाल पुत्र गणेश
8. भागचंद पुत्र गणेश
9. केसर बाई बेवा गणेश
10. चन्द्री पत्नी बालूराम पुत्री गणेश जाति रेगर निवासी बारली बूंदी जिला कोटा।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). जमील अहमद– अधिवक्ता अपीलांट
(2). पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1

निर्णय **दिनांक 30.01.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं अध्यक्ष, राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 जिला कोटा के प्रकरण संख्या 405/2009 मे पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि मौजा मण्डाना तहसील लाडपुरा की आराजी संख्या 53, 54, 52/1902 कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। उक्त वर्णित आराजी के वर्तमान आराजी संख्या 134 रकबा 1.53 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित विवादित आराजीयात का 1/2 हिस्सा अर्थात 5 बीघा ढाई बिस्वा आराजी को दिनांक 15.05.1980 को खातेदारान मांगीलाल, जयलाल, मोडूलाल, रामस्वरूप एवं रति से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलांट वादी के पिता स्वर्गीय गणेश पुत्र बख्शू द्वारा क्रय की गई थी। वादी अपीलांट के पिता अपने जीवनकाल मे उक्त कृषि भूमि का इंतकाल अपने नाम दर्ज करवा कर खातेदारी मे अलग से इन्द्राज करवाने का प्रयास किया परन्तु तहसीलदार महोदय द्वारा केवल कृषि भूमि के संबंध मे पूर्व खातेदारों के साथ वादी अपीलांट के पिता का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किया गया। न तो इंतकाल तस्दीक किया गया, न ही खाता पृथक किया गया। इसी बीच वादी अपीलांट के पिता का दिनांक 25.10.1991 को देहांत हो गया। गणेश के देहांत के बाद उसके वारिसान की हैसियत से वादी अपीलांट तथा उसके अन्य भाई मदन व भागचंद एवं वादी अपीलांट की बहन चंद्री व माता केसर द्वारा तहसील मे आवेदन प्रस्तुत कर गणेश के कायम मुकाम दर्ज कर फौती इंतकाल तस्दीक कर पूर्व के खातेदारों से खाता अलग करवाने की प्रार्थना की परन्तु तहसीलदार द्वारा केवल राजस्व रेकॉर्ड मे पूर्व के खातेदारो के साथ 1/2 हिस्से मे स्वर्गीय गणेश के वारिसान का नाम दर्ज कर दिया, न तो अलग इंतकाल तस्दीक किया, न ही खाता अलग किया गया। उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर वादी अपीलांट तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का आज तक लगातार काबिज काश्त है। वादी अपीलांट को

न्यायालय से उक्त वर्णित विवादित आराजीयात का बंटवारा करा स्वर्गीय गणेश के वारिसान के नाम पर 1/2 हिस्से का अलग से इंतकाल तस्दीक करवाकर हिस्सा अलग करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार प्राप्त है । अन्त मे वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से का इंतकाल वादी अपीलांट व प्रतिवादीगण संख्या 7 से 10 के पक्ष मे तस्दीक किया जाकर अन्य सहखातेदारान से खाता अलग करवाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 , 5 , 7 से 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। पत्रावली दिनांक 18.05.2021 को लोक अदालत कैम्प मण्डाना मे रखी जाकर उक्त वर्णित विवादित आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमि निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05. 2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलांट वादी ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अधिवक्ता अपीलांट वादी की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। न्यायहित मे अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मीमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के अन्तर्गत कैम्प मण्डाना मे निर्णय पारित किया है। लोक अदालत मे ना तो अपीलांट

वादी को बुलाया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट वादी को बिना सूचित किये एकतरफा मे लोक अदालत के तहत अपीलांट वादी को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित किया है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किये बिना ही वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। लोक अदालत के तहत उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के पारित किया गया निर्णय लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त की जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 7 से 10 के नाम पर आराजी संख्या 34 रकबा 1.53 हैक्टेयर भूमि का इन्तकाल तस्दीक किये जाने व राजस्व रेकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया।

7. पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा व बंटवारे का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण सख्या 3, 5, 7 से 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 12.05.2017 को पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु नियत की गई, जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.05.2017 नियत की गई। दिनांक 18.05.2017 को लोक अदालत के तहत वादपत्र गुणावगुण के आधार पर निर्णिय किया गया। अन्त मे अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 18.05.2017 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के अन्तर्गत कैम्प मण्डाना मे पारित किया गया है। दिनांक 12.05.2017 मे पक्षकारान को लोक अदालत मे उपस्थिति हेतु नोटिस जारी करने के आदेश है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त आदेशानुसार नोटिस जारी हुए या नहीं? वदी अपीलांट का यह कथन है कि उन्हे कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई। वादी अपीलांट का कथन है कि उन्हे बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा उनकी अनुपस्थिति मे निर्णय

पारित किया अतः उन्होने निर्णय से अप्रसन्न होकर अपील की है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि उस पर केवल मोड़ूलाल के हस्ताक्षर है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वयं अपीलांट मोड़ूलाल ने ही अपील की है तथा कथन किया है कि निर्णय दिनांक 18.05.2017 वादी अपीलांट की गैरमौजूदगी मे हुआ। निर्णय दिनांक 18.05.2017 की आदेशिका के अनुसार अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी भी उपस्थित नही थे, तथा प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी प्रतिवादी की उपस्थिति अंकित नहीं है। उपर्युक्त परिस्थिति एवं विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत मे पक्षकारान के मध्य विधिक राजीनामा पेश नहीं हुआ । लोक अदालत मे केवल राजीनामा की भावना के आधार पर निर्णय होते है। अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्व लोक अदालत मे न तो कोई राजीनामा प्रस्तुत हुआ तथा ना ही आवश्यक पक्षकारान उपस्थित थे। गुणावगुण पर निर्णय उभय पक्षकारान को सुनकर ही पारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं अध्यक्ष, राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 जिला कोटा के प्रकरण संख्या 405/2009 मे पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निदेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर नवीन सिरे से विधि अनुसार निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 03.03.2023 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकार
कोटा(राज0)